# बिहार सरकार
# ग्रामीण कार्य विभाग

## अधिसूचना

अ0स0 :– 3/अ0प्र0–1–35/2013 1492 /पटना, दिनांक :– 12.9.22

श्री योगेन्द्र प्रसाद शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–1 के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, दरभंगा–1 अन्तर्गत एन0एच0–57 (खुटवारा) से कांटी पथ के संदर्भ में अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन के पत्रांक 112 अनु0 दिनांक 31.12.2012 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3830 अनु0 दिनांक 05.11.2015 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी (मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग) के ज्ञापांक–236 अनु0 दिनांक 21.01.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री शर्मा के विरूद्ध गठित आरोपों के संदर्भ में इनके बचाव बयान से सहमत होने का मंतव्य संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षोपरान्त इससे असहमति संसूचित करते हुए असहमति के बिन्दुओं पर विभागीय पत्रांक 2293 अनु0 दिनांक 20.07.2016 द्वारा श्री शर्मा से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

4. श्री शर्मा के पत्रांक शून्य दिनांक 07.03.2017 द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान की समीक्षा अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग से करायी गयी। समीक्षा में अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता द्वारा श्री शर्मा को आरोप मुक्त किये जाने का मंतव्य दिया गया। तद्लोक में मामले के समीक्षोपरान्त आलोच्य पथ के प्रत्येक 50 मीटर पर का फोटोग्राफ्स समर्पित करने का निदेश विभागीय पत्रांक 1313 अनु0 दिनांक 07.06.2018 द्वारा कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–1 को दिया गया।

5. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–1 के पत्रांक 1358 दिनांक 03.07.2019 के माध्यम से प्राप्त फोटोग्राफ्स के आलोक में मामले की समीक्षा अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा की गयी। समीक्षा में अभियंता प्रमुख द्वारा यह उल्लेख किया गया कि आलोच्य पथ के पूर्ण किये जाने के आठ साल बाद के फोटोग्राफ्स के अवलोकनोपरान्त पथ के कुछ पथांश क्षतिग्रस्त हुए हैं, परन्तु अधिकांश भाग अच्छे हालात में दृष्टिगोचर है। इस परिप्रेक्ष्य में श्री शर्मा के द्वितीय बचाव बयान को स्वीकार योग्य माने जाने का मंतव्य अभियंता प्रमुख द्वारा दिया गया।

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मामले की समग्र समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग के उक्त मंतव्य से सहमत होते हुए श्री शर्मा के द्वितीय बचाव बयान को स्वीकृत करते हुए इन्हें आरोप मुक्त करने के निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

7. अतः उक्त के आलोक में श्री योगेन्द्र प्रसाद शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–1 सम्प्रति सेवानिवृत को प्रश्नगत् मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

5/9/2022

(संजय दूबे)
विशेष सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org, E-mail:secretaryrwdbihar@gmail.com,&secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–35/2013 1493 /पटना, दिनांक :– 12.9.22

**प्रतिलिपि**:– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/9/2022

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–35/2013 1493 /पटना, दिनांक :– 12.9.22

**प्रतिलिपि**:– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–1/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री योगेन्द्र प्रसाद शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–1 सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पता :– मटुकधारी निवास, मकान संख्या–6/MB (जया पेट्रोल पम्प के पीछे), बोरिंग कैनाल रोड, श्री कृष्णापुरी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/9/2022

विशेष सचिव